



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072024-255708  
CG-DL-E-24072024-255708

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2797]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2024/श्रावण 2, 1946

No. 2797]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2024/SHRAVANA 2, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

का.आ. 2934(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'हिमाचल प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र, शिमला' (पैन: AAAAH7757E), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक निकाय, उस निकाय से उद्भूत होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क/प्रभार के उद्ग्रहण से आय, और

(ख) बैंक जमा पर ब्याज।

2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'हिमाचल प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र'—

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) इसकी गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों 2020-2021, 2021-2022 एवं 2022-2023 के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्षों 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 95/2024/फा.सं.196/20/2021-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)

### स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।